2.1.1 Due consideration is given to equity and inclusiveness by providing reservation of seats to all categories during the admission process.

Index

S.NO	DOCUMENT	PAGENO.
1.	Copy of letter issued by state govt. or and Central Government 2018 -19	1-3
2.	English Translation of Highlighted point in State Govt Scholarship Guideline 2018-19	4
3.	Copy of letter issued by state govt. or and Central Government 2019-20	5 -7
4.	English Translation of Highlighted point in State Govt Scholarship Guideline 2019 -20	8
5.	Copy of letter issued by state govt. or and Central Government 2020-21	9-11
6.	English Translation of Highlighted point in State Govt Scholarship Guideline 2020 -21	12
7.	Copy of letter issued by state govt. or and Central Government 2021-22	13-15
8.	English Translation of Highlighted point in State Govt Scholarship Guideline 2021-22	16
9.	Copy of letter issued by state govt. or and Central Government 2022 -23	17-20
10.	English Translation of Highlighted point in State Govt Scholarship Guideline 2022 -2 3	21

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)
• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

Copy of letter issued by state govt. or and Central Government 2018 -19

उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

1916 2016

प्रवेश नियम
एवं
मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र : 2018–2019

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 8 मई 2018

क्रमांक 413/116/सीसी/ —अड़तीस—माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन सत्र 2018—19 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अकादमिक कैलेण्डर एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।
(संलग्नः— उपरोक्तानुसार)

(जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ0क्रमांक414/116/सीसी/ —अड़तीस,

भोपाल दिनांक 8 मई 2018

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल म.प्र.।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर म.प्र.
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
10. राज्य सूचना अधिकारी (एनआईसी), विन्ध्याचल भवन, भोपाल म.प्र. की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी आई.टी. सेल, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों,

English Translation of Above Highlighted Point in State Govt Scholarship guideline letter (2018 -19)

- 16 and 20 percent seats respectively will be reserved for applicants belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe.
- 14 percent of seats will be reserved for applicants from backward classes (except creamy layer).

Verified

Principal
Choithram College of Nursing
Manik Bagh Road,
Indore-452014 (M.P.) India

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)

- Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
- Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

प्रवेश नियम
एवं
मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र : 2019–2020

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा
वल्लभ, भवन मंत्रालय–462004

::आदेश::

भोपाल, दिनांक: 25 मई 2019

क्रमांक:: 285/116/सीसी/2019/अड़तीस :: माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन सत्र 2019–20 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।

(संलग्न–उपरोक्तानुसार)

(जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक: 286/सीसी/2019/116 भोपाल, दिनांक 25 मई, 2019
प्रतिलिपि:
1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल, म.प्र.।
2. निज सहायक, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव,समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा//उज्जैन एवं छतरपुर म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. सी.ई.ओ. एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र. की कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा,म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

..................की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पात्रता होगी। उत्तीर्ण होने पर प्रवेश नियमित एवं अनुत्तीर्ण होने पर प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

10.4 संस्कृत महाविद्यालयों को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा। सभी महाविद्यालयों को शासन एवं विश्वविद्यालय से आवश्यक अनुमति निर्धारित तिथियों में प्राप्त करना अनिवार्य है तथा महाविद्यालय को प्रोफाईल दर्ज कर मेपिंग महाविद्यालय से आनलाईन सत्यापन तथा विश्वविद्यालय से आनलाईन पुर्नसत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

11. **प्रवेश हेतु प्राथमिकता :**

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में सी.एल.सी.चरण में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. **आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–**

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछडे वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध.सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

English Translation of Above Highlighted Point in State Govt Scholarship guideline letter (2019 -20)

- 16 and 20 percent seats respectively will be reserved for applicants belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe.
- 14 percent of seats will be reserved for applicants from backward classes (except creamy layer).

Verified

Principal
Choithram College of Nursing
Manik Bagh Road,
Indore-452014 (M.P.) India

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
INDORE
452014
MANIK BAGH

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)
• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

Copy of letter issued by state govt. or and Central Government 2020 -21

उच्च शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश शासन

प्रवेश नियम
एवं
मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र : 2020–21

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)
● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ,भवन मंत्रालय–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 31-07-2020

कमांकः 949 / 2020 / सीसी / 2020 / अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2020–21 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी किये जाते हैं।

संलग्न– प्रवेश नियम / मार्गदर्शी सिद्धांत।

31/07/2020
(श्वेता पवार)
उप सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ०क्रमांकः 950 / सीसी / 2020 /

भोपाल, दिनांक 31-07-2020

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा,म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / रीवा / उज्जैन / छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
10. प्राचार्य, शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

31/07/2020
उप सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)
• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा–

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन कमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश के परिपालन में मार्गदर्शिका में समाहित किया जा रहा है परंतु याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.4.1 **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)** : विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश कमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र कमांक 444/243/आउशि/शा.–5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुकम में दिया जायेगा।

12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.7 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगतअधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)

• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

English Translation of Above Highlighted Point in State Govt Scholarship guideline letter (2020 -21)

- 16 and 20 percent seats respectively will be reserved for applicants belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe.
- 27 percent of seats will be reserved for applicants from backward classes (except creamy layer).

Principal
Choithram College of Nursing
Manik Bagh Road,
Indore-452014 (M.P.) India

Copy of letter issued by state govt. or and Central Government 2021-22

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन प्रवेश
सत्र 2021—22

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल — 462004
नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :- 0755—2551698, 2554763
E-mail:- epravesh12@gmail.com
तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :— 0755—6720201

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)
• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ, भवन मंत्रालय–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15/07/2021

कमांक: 544/94/सीसी/2021/अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2021–22 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्वांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी किये जाते हैं।

सलग्न– प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्वांत

(श्वेता पवार) 15/07
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक 545/94 /सीसी/2021/अड़तीस भोपाल, दिनांक 15/07/2021
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा,म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/ छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा, म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)
• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

28. आरक्षण :–

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

28.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

28.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमश: 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

28.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र कमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका कमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

28.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से नि:शक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे **जायेंगे।** इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांको के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा–

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से नि:शक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

28.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

28.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :– आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमाक 444/243/आउशि/शा.–5अ/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।

28.7 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

28.8 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)

- Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
- Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

English Translation of Above Highlighted Point in State Govt Scholarship guideline letter (2021 -22)

- 16 and 20 percent seats respectively will be reserved for applicants belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe.
- 14 percent of seats will be reserved for applicants from backward classes (except creamy layer).

Verified

Principal
Choithram College of Nursing
Manik Bagh Road,
Indore-452014 (M.P.) India

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)
• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

Copy of letter issued by state govt. or and Central Government 2022-23.

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2022–23

मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए

प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल – 462004

नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नंबर :- 0755–2551698, 2554763

E-mail:- epravesh12@gmail.com

तकनीकी समस्या हेतु एम.पी. ऑनलाइन सहायता केन्द्र नंबर :– 0755–6720201

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

विचार, कर्म एवं व्यवहार की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति ही शिक्षा है।

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)
• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909
E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ, भवन मंत्रालय–462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 12/05/2022

कमांकः 330/ 46 /सीसी/2022/अड़तीस :: राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2022–23 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी किये जाते हैं।

संलग्न– प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत।

12.05.22
(संघमित्रा गौतम)
उप सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक: 331 /46 सीसी/2022/ भोपाल, दिनांक 12/05/2022

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल,म.प्र.।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा,म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, समस्त परम्परागत विश्वविद्यालय भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर एवं छिन्दवाड़ा म.प्र.।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. सी.ई.ओ. एम.पी.ऑनलाइन, द्वितीय तल डी.बी.मॉल, एम.पी.नगर भोपाल म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
10. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

24.2 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं हैं। रैगिंग के संदर्भ में यू. जी.सी. के ज्ञापन क्र. एफ–1–16/2007 (सी.पी.पी.।।) अप्रैल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा–1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जीरो टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolernnce Policy) लागू रहेगी।

24.3 ट्रॉन्सजेंडर को केवल सह–शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में ही प्रवेश दिया जावेगा।

24.4 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। लेकिन दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

25. बाह्य राज्य के आवेदकों हेतु प्रवेश नियम :–

25.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.एस.सी.(गृह–विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले वर्ष/सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता है, किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय–समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो तो संबंधित परीक्षण के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

25.2 मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष अथवा द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा, राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं विषय/विषयों/विषय–समूह की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने की स्थिति में नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा।

25.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा। शपथ–पत्र में फर्जी, किसी भी तरह की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने की दशा में संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में आगामी तीन वर्ष तक प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा।

25.4 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को प्रवेश के पूर्व, प्राचार्यों द्वारा संबंधित राज्यों एवं स्थानीय आरक्षी केन्द्रों के माध्यम से पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य है।

25.5 केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं में मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 80 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था लागू रहेगी।

25.6 महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में अध्ययनरत् संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

25.7 जिन विषयों में प्रवेश के लिये प्रदेश के विद्यार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, उन विषयों में अन्य राज्य के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

26. आरक्षण :–

मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

26.1 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

26.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

26.3 पिछड़े वर्ग (क्रीमी–लेयर छोडकर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 349 भोपाल दिनांक 14.08.2019 में प्रकाशित संशोधन क्रमांक 13681–227–इक्कीस–अ (प्रा.) अधि. दिनांक 13.08.2019 द्वारा संशोधित आदेश पर याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 5901/2019 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन लागू किया जायेगा)

26.4 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातियों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्त्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे सम्बद्ध दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा–

1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित–परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख।
6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल।
7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।

26.5 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। दिव्यांग आवेदकों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र (जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता का उल्लेख हो) पंजीयन के समय अपलोड करने पर इस श्रेणी का लाभ लिया जा सकेगा।

26.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS- Economically Weaker Section) :– आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–07–11/2019/आ.प्र./एक, भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक 444/243/आउशि/शा.–5'अ'/2019 भोपाल दिनांक 15 जुलाई 2019 के अनुक्रम में दिया जायेगा।

26.7 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण–पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

26.8 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

26.9 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा उसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/विश्वविद्यालय, आयुक्त कार्यालय उच्च शिक्षा में नियमित कार्यरत/सेवानिवृत्त/दिवंगत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

26.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING INDORE 452014 MANIK BAGH ROAD

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur

Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)

• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

English Translation of Above Highlighted Point in State Govt Scholarship guideline letter (2022 -23)

- 16 and 20 percent seats respectively will be reserved for applicants belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe.
- 14 percent of seats will be reserved for applicants from backward classes (except creamy layer).

Verified

Principal
Choithram College of Nursing
Manik Bagh Road,
Indore-452014 (M.P.) India

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING
INDORE 452014
MANIK BAGH ROAD